राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edqcrmsc@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2017-18 / 1672 दिनांक : 29/1/2018

कार्यालय आदेश

M/S Theon Pharmceuticals Ltd.,Village Saini Majra, The.- Nalagarh, Distt.- Solan (H.P.) 174101 की वर्ष 2015–16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(158)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-08/2015/1069 दिनांक 07 / 08 / 2015 के तहत औषधि Metformin Hydrochloride (Sustained Release) Tablets IP 1000mg [451] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1523 दिनांक 23 / 12 / 2015 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 02 बैच Dissolution Test में अमानक कोटि के घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैच Dissolution Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

औषधि के उक्त बैचो का वैधानिक नमूना औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाकर नमूने को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाया गया। राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा औषधि के दोनो बैच को Dissolution Test में अमानक कोटि का घोषित किया गया।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 15 / 01 / 2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ–साथ Grossly Substandard की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2017-18/1329 दिनांक 13 / 12 / 2017 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/S Theon Pharmceuticals Ltd.,Village Saini Majra, The.- Nalagarh, Distt.- Solan (H.P.) 174101 की औषधि Metformin Hydrochloride (Sustained Release) Tablets IP 1000mg [451] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश / क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक